

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-सिलदिलीयाखुर्द में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०- 10, प्लॉट सं०- 31/B कुल रकबा 0.68 ए० पर श्री/श्रीमति रामप्रवेश सिंह पिता/पति विद्या सिंह के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 124/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा सिलदिलीया खुर्द थाना सं० 476 के अंतर्गत उक्त खाता सं० 10, प्लॉट सं०- 31/B रकबा 0.68 खाता सं०- 10 प्लॉट सं० 31/B, रकबा 0.68 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री/श्रीमति रामप्रवेश सिंह पिता विद्या सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा सिलदिलीया खुर्द के मांग पंजी II के पेज सं० 75/II पर दर्ज होकर वर्ष 2004-05 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं०-26/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई <u>रुख</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में

श्री मात अंचल पदाधिकारी मनारू (पलामू)

विषय :- झर्वैय / संदेहास्पद जमावंदी केस नं. 26/2016-17 का जॉन्च
प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा खिलादीलीया-
खुर्द में जा कर राजस्व कागजात एवं नक्शा वगैरह मिलावट कर के
अंचल डायरी के साथ रजिस्ट्री जॉन्च किया जा चुका है।
गैरमजबूत शर्तों पर खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली
पर राम प्रवेश सिंह पिता विद्या सिंह के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा
है, इनके द्वारा जॉन्च के दौरान खन्दीवस्ती पर्चा एवं निर्गत राशिद
प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है कि अनुमंडल -
पदाधिकारी के खन्दीवस्ती काद सं. 124/2002-03 के अन्तर्गत
दिनांक 11/11/03 को मौजा खिलादीलीया खुर्द धाना नं. 476 के अन्तर्गत
उक्त शर्तों नं. 10 खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली
राम प्रवेश सिंह पिता विद्या सिंह के नाम से हुआ है, जिसका
जमावंदी मौजा खिलादीलीया खुर्द के मोग पंजी II के पेज नं. 75/2 पर
दर्ज हो कर वर्ष 2004-05 से लगातार रसीद निर्गत हो रहा है इस
प्रकार उक्त जमावंदी संदेहास्पद/झर्वैय प्रतीत नहीं होता है।
अतः उक्त झर्वैय जमावंदी काद सं. 26/2016-17 से
बाहर किया जा सकता है।

अनेखल
अमीन मनारू
5/11/2024

5/12/24
R.S.I

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/01/23	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय. की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	